वाणिज्य अ.ज.– 671

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र. / अ.वि.वि.नि.लि. / अति.मु.अ. (मुख्यालय.) / अधी.अ.(वा.) / अ.अ.–II / 2017–18 / प्रे 598 दि: 6-6-17

आदेश

विषयः– लम्बित जांच प्रतिवेदनों के अन्तिम निस्तारण के सम्बन्ध में।

लम्बित जांच प्रतिवेदनों के अन्तिम निस्तारण के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक अविविनिलि / अति.मु.अ.(एचक्यू) / प्रे 257 दिनांक 02.05.2017 (वाणिज्य आदेश –666) के द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये थे, इसी क्रम में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उठाये गये संशयों एवं अन्य संशोधनों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता हैः–

1. बिन्दु संख्या 5 के अनुसार सहायक अभियन्ता (पवस) दोनो शाखाओं (सतर्कता एवं पवस) की लम्बित वीसीआर के राजस्व निर्धारण का नोटिस उपभोक्ताओं को अब दिनांक 30.06.2017 के स्थान पर 30.09.2017 तक देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त नोटिस के निर्धारित प्रपत्र की प्रति संलग्न है।
2. जिन उपभोक्ताओं /गैर उपभोक्ताओं की विद्युत चोरी की पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है एवं अनुसंधान चल रहा है, साथ ही उनका चालान भी प्रस्तुत नही हुआ है, उन प्रकरणों को भी बिन्दु संख्या 6 में गठित कमेटी द्वारा सुना जा सकेगा।
3. असंतुष्ठ उपभोक्ता अब 31.08.2017 के स्थान पर 30.11.2017 तक राजस्व निर्धारण की 10 प्रतिशत राशि मय पंजीयन शुल्क रू. 500/– जमा करवाकर गठित कमेटी के समक्ष अपना वाद प्रस्तुत कर सकते है।
4. आदेश के अन्तिम पैरा को निम्नानुसार पढा जावें।

''इस योजना में दिनांक 30.06.2016 तक के लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों का अन्तिम निस्तारण दिनांक 31.12.2017 तक यथा संभव हो जाना चाहिये।''

संलग्नः नोटिस का प्रपत्र

आज्ञा से

6.6.17

(एस. एस. मीना)
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर

अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय सहायक अभियन्ता (.   ), ...

क्र. /अ.वि.वि.नि.लि. /स.अ. / /प्रे   दिः

नोटिस

प्रेषित,

श्री .... पुत्र श्री .... ग्राम ....
तहसील............................ जिला .... उपभोक्ता खाता संख्या ....
/गैर उपभोक्ता, वीसीआर नं. व दिनांक ....
जांच अधिकारीः– अधिशाषी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (   ), अविविनिलि, ...

आपके .... स्थित कृषि/ घरेलु/ औधोगिक/ व्यावसायिक परिसर में दिनांक .... को सतर्कता जांच करने पर आपके द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत निम्नांकित अपराध करना पाया गयाः–

(i) बिना वैध कनेक्शन के विधुत का अनाधिकृत उपयोग।
(ii) मीटर से छेडछाड कर, विधुत का अनाधिकृत उपयोग।
(iii) मीटर केबिल/ ट्रांसफार्मर से छेडछाड व उसको नुकसान पहुंचाकर, मीटरिंग को बाधित करना।
(iv) अन्यः–

इस सम्बन्ध में :–

1) सतर्कता जांच प्रतिवेदन संख्या .... दिनांक .... तैयार किया गया, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
2) उक्त सतर्कता जांच प्रतिवेदन में किये गये राजस्व निर्धारण की राशि रूपये .... इस नोटिस की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में इस कार्यालय में जमा करवाये,
   या
   पहले भी आपको नोटिस क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा निर्धारण राशि रू. .... जमा करवाने हेतु सूचित किया गया था, किन्तु आप द्वारा अभी तक उक्त राशि जमा नही करवायी गयी है।
3) निगम द्वारा दिनांक 30.06.2016 तक की लम्बित वीसीआरस के अन्तिम निस्तारण हेतु एक योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत आपको उक्त सतर्कता प्रतिवेदन के राजस्व निर्धारण की राशि जमा करवानें हेतु एक अन्तिम अवसर दिया जाता है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वीसीआर में निर्धारित राजस्व निर्धारण राशि .... रूपये इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में इस कार्यालय में जमा करवायें, अन्यथा आपके विरूद्व विंद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी।

यदि उक्त निर्धारण राशि के सम्बन्ध में आपको कोई आपत्ति हो तो आप इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता (   ), अविविनिलि, ... की अध्यक्षता में गठित वीसीआर निस्तारण कमेटी के समक्ष दिनांक 30.11.2017 तक राजस्व निर्धारण की 10 प्रतिशत राशि एवं पंजीयन शुल्क रू. 500/– जमा करवाकर, मय दस्तावेजी साक्ष्यों के अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है, जिस पर कमेटी द्वारा लिये गये, विधिसम्मत निर्णयानुसार निर्धारण राशि 7 दिवस में जमा करवानी होगी।

संलग्नः वीसीआर की छायाप्रति।

सहायक अभियन्ता (   )
अविविनिलि, ...

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता / अधिशाषी अभियन्ता (   ), अजमेर डिस्कॉम, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता (   )
अविविनिलि, ...